न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 30/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/209

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री गणपतलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।		1. मन्जु लता पत्नी श्री कमल किशोर जाति ब्राहम्ण निवासी मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 गणपतलाल 3. पवन पुत्र स्व0 राधेश्याम 4. ज्योति पुत्री स्व0 राधेश्याम 5. संगीता पुत्री स्व0 राधेश्याम 6. पूजा पुत्री स्व0 राधेश्याम 7. बसन्ती पत्नि स्व0 राधेश्याम 8. जमनादेवी पत्नि स्व0 गणपतलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 9. सरपंच, ग्राम पंचायत, कुण्डरी उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर 10. ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, कुण्डरी उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचमान।

अपील अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती एक्ट वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 41/2017 व संकल्प संख्या 03/05/07/2017 दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत, कुण्डरी

उपस्थितः–

1. श्री सिकन्दर खां वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश मोठ वकील गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 08 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 10.09.2024

अपील के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है किः–

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

1. अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 08 स्व0 गणपतलाल विधिक उत्तराधिकारी व वारिसान है, रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के सगे भाई कमलकिशोर की पत्नी है, जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से है:–

गणपतलाल

रामस्वरूप	राधेश्याम (फौत)	कमल किशोर	सत्यनारायण	जमनादेवी

पवन (पुत्र)	संगीता (पुत्री)	ज्योति (पुत्री)	पूजा (पुत्री)	बसन्ती (पत्नी)

2. ग्राम मानपुरा के आबादी में एक आवासीय जायगा बस स्टैण्ड चौराया के उत्तर दिशा में अवस्थित है तथा यह आबादी जायगा अपीलान्ट की पैत्रिक सम्पति है तथा यह जायगा अपीलान्ट पिता की संयुक्त शामलाती जायगा है। जिसमें अपीलान्ट का एक मकान जो करीब 80–90 वर्ष पुराना बना हुआ है, यह अपीलान्ट की सामलाती भूमि सदैव से रही है, यह आवासीय भूमि अपीलान्ट के पूर्वज स्व0 गणपतलाल के समय से ही कब्जा व स्वामित्व की रही है। यह आवासीय जायगा किसी भी प्रकार से स्व0 गणपतलाल के वारिसान में बंटी हुई नहीं है। सभी का संयुक्त व शामलात कब्जा सदैव से रहा है तथा वर्तमान में भी है।
3. अपीलान्ट स्व0 गणपतलाल के वारिसान है तथा सभी का उपरोक्त पुश्तैनी आवासीय मकान व थाला पर शामलाती कब्जा रहा है। जिसकी प्रत्येक हर इंच भूमि पर अपीलार्थी का हक अधिकार व स्वामित्व रहा है तथा अपीलान्ट रामस्वरूप खाने कमाने हेतु पिछले 7–8 पर्षो से अजमेर में रहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सत्यनारायण कमाने खाने के लिए पिछले 8–9 वर्षो से सुरत में रहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 07 भी कमाने खाने के लिए वर्तमान में खेडुली जिला नागौर में रहते है तथा समय समय पर ग्राम मानपुरा आते जाते रहते है तथा अपनी पुश्तैनी संयुक्त जायगा की देखभाल करते रहते है तथा उपरोक्त अपीलाधीन पट्टे की जायगा में बने मकान में विद्युत कनैक्शन भी अपीलान्ट रामस्वरूप के नाम से रहा है, जिसे गलत रूप से पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने नाम जारी करवा कर उक्त विद्युत कनैक्शन को अपने गलत रूप से अपने नाम से जारी करवा लिया।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अंकित कुमार व उसका पिता कमल किशोर होशियार व चतुर व्यक्ति है तथा वह गांव में पैत्रिक आवासीय भूमि में संयुक्त शामलाती आवासीय मकान है तथा रेस्पोडेन्ट का परिवार ग्राम मानपुरा में ही रहता है तथा अपीलान्ट समय समय पर अपने ग्राम मानपुरा आते जाते रहते है तथा अपनी पैत्रिक भूमि की सार सम्भाल करते रहते है तथा अपीलान्ट ने अपने सभी सन्तानों का शादी विवाह भी ग्राम मानपुरा में ही सम्पन्न किया गया था।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके पति कमल किशोर ने ग्राम पंचायत कुण्डली से मिलीभगत कर अपीलान्ट के पिता व दादा की पुश्तै[illegible]लाती भूमि को गलत रूप से अपने अकेले की कब्जा सुदा बता[illegible] संख्या 41 दिनांक 20.09.2017 को बनवा लिया। अ[illegible] जमीन भी ग्राम पंचायत के नाम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:37 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

नहीं थी। पट्टा ग्राम पंचायत ने श्रीमति मन्जुलता के नाम बनाया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील पट्टा निरस्त करने की अपील पेश करते है। जिसके आधार निम्नलिखित है:–

:–अपील के आधार–:

1. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
2. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत आदेश अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश अधिन अपील पारित करने में घोर त्रृटि की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
4. ग्राप पंचायत कुण्डरी ने राजरथान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रारूप 23 (2) नियम 157 (1) के तहत उक्त पट्टा संख्या 41 दिनांक 20.09.2017 को जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियम के नियमों व सिद्धान्तों की खुलम खुला अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पचास वर्षे से अधिक का पुराना कब्जा बता कर उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलान्ट के भाई कमल किशोर की पत्नी है, जिसकी उम्र मात्र 42 वर्ष ही है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को गलत फायदा पहुँचाने की नियत से प्रलोभन में आकर यह पट्टा जारी किया गया है, जिससे भी यह पट्टा प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमति मन्जुलता को यह पूर्ण रूप से ज्ञान था कि उपरोक्त आवासीय जायगा पुश्तैनी व सामलाती व संयुक्त कब्जे की है, फिर भी जानबुझ कर उसने इस बात को छुपाते हुये ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उपरोक्त विवादित पट्टा जारी करवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
6. अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 07 के दादा व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के ससुर स्व0 गणपतलाल की मृत्यु दिनांक 06.11.2013 को हो चुकी है। अपीलाधीन पट्टे की भूमि सदैव से संयुक्त व शामलाती स्व0 गणपतलाल के चारों पुत्रों की रही है तथा उपरोक्त जायगा स्व0 गणपतलाल जी के जीवनकाल से ही संयुक्त रूप से चली आ रही है। फिर भी ग्राम पंचायत कुण्डरी ने विधि के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये ग्राम पंचायत अधिनियम की पालना नहीं करते हुये यह गलत रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
7. ग्राम पंचायत ने जो अपीलाधीन पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, जो श्रीमति मन्जुलता को वर्षो पुराना 50 वर्षो पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया है, जबकि श्रीमति मन्जुलता की उम्र आज भी मात्र 42 वर्ष ही है। जिस पर ग्राम पंचायत ने कोई गौर न करके यह विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
8. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति [illegible] चालाक व होशियार व्यक्ति है, उसने अपीलान्ट के पिता [illegible] की ग्राम मानपुरा में स्थित सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पैत्रिक/पुश्तैनी आवासीय मकान व जाश्गा के अलग–अलग चार पट्टे – पट्टा संख्या 43 कमल किशोर के नाम, पट्टा संख्या 40 व 42 अपीलान्ट के भाई कमल किशोर ने अपने पुत्रों अंकित कुमार व अमित कुमार व पट्टा संख्या 41 का पट्टा कमल किशोर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपनी पत्नी के नाम गलत रूप से संयुक्त व शामलाती जायगा होने के बावजूद भी गलत रूप से जारी करवा लिया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

9. स्व0 गणपतलाल जी ने एक आवासीय जायगा दिनांक 14.06.2004 को अपने सगे भतीजे विजयराज से क्रय की थी, जो उक्त अपीलाधीन पट्टे के चिपते ही दक्षिण दिशा में अवस्थित है। विजयराज ने अपनी आवासीय जायगा अपीलान्ट के पिता गणपतलाल को जब जरिये ईकरारनामा बैचाण की, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख अमरचन्द ने किया है कि जो आवासीय जायगा जरिये ईकरारनामा बेची गई है, उसके चिपते ही 1/2 हिस्सा गणपतलाल जी का पैत्रिक होना दर्शीत किया है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि उपरोक्त जायगा सदैव से पैत्रिक रही है। जिस पर ग्राम पंचायत ने कोई ध्यान नहीं देकर उपरोक्त अपीलाधीन पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

10. अभी हाल ही में द्वितीय सप्ताह मार्च महिने में अपीलार्थी रामस्वरूप व उसका लड़का दामोदर अपने गांव मानपुरा मे अवस्थित अपनी पैत्रिक जायगा को सम्भालने के लिए आया तब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके पिता ने कहा की उपरोक्त सम्पति तो मेरी अकेलों की है, आप स्व0 गणपतलाल जी वारिसान इसमें कोई लेना–देना नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट ने कहा की मैने सारी आवासीय जायदाद का अपने स्वयं के नाम पट्टा ग्राम पंचायत कुण्डरी से जारी करवा लिया है, अब तुम्हारा इस जायदाद में कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है, तब अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत में पता किया तथा उक्त पट्टों की उपपंजीयक, पीलवा से दिनांक 13.08.2020 को प्रमाणित नकल प्राप्त की, तब इस फर्जी पट्टे का प्रथम बार ज्ञान हुआ, जिससे यह अपील अन्दर मयाद पेश हैं।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर सादर नम्र निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार का पट्टा संख्या 41/2017 व संकल्प संख्या 03/05/07/2017 दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत, कुण्डरी को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया।

निगरानीकार ने पट्टे के लिए आवेदन नियम 157(1) के तहत पेश किया है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(1) के तहत प्रावधान है कि **"पुराने गृहों का विनियमितीकरणः–** जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक है वहां उन्हे निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही नियम 145 व नियम 146(2) व नियम 146(3) के तहत की गई है। नियम 145(1) में प्रावधान है कि **क्रय के लिए आवेदन** :–" पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा, जो उसके लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमती मन्जुलता के आवेदन पर पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। श्रीमती मंजुलता द्वारा आवादी भूमि के मकान का नियमितिकरण चाहा है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में साक्ष्य व वयान प्रार्थीया के पति व एक अन्य व्यक्ति का दिया गया है। यह मकान प्रार्थीया को किस प्रकार प्राप्त हुआ इस संवंध में कोई भी जांच पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पंचायत की कार्यवाही विवरण में मकान पैत्रक हिस्सेवार विरासत में आना दर्ज किया गया है। श्रीमती मंजु को किसकी विरासत से यह मकान प्राप्त हुआ है। पत्रावली में कहीं पर भी अंकित नहीं है, न ही इस संवंध में कोई जांच होना पंचायत की पत्रावली पर पाया जाता है।

अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रेतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की पुनः जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:37 IST
Reason: SelfAttested